www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 30.01.2017

सीबीआई ने व्यापम से सम्बन्धित मामले में उम्मीदवार एवं तीन अन्यों के विरूद्ध पत्र दायर किया

सीबीआई ने चार आरोपियों यथा उम्मदीवार, सॉल्वर एवं दो मध्यस्थ व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 419, 420, 467/511, 468, व 471/511 तथा एम.पी.आर.ई अधिनियम, 1937 की धारा 3(डी)/ 4 के तहत व्यापम मामले, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से सम्बन्धित सीबीआई के विशेष दण्डाधिकारी की अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

माननीय सर्वोच्य न्यायालय के दिनांक 09.07.2015 के आदेश के अनुपालन में उम्मीवार एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 16.12.2015 को मामला दर्ज किया एवं उम्मीदवार के विरूद्ध जनक गंज पुलिस स्टेशन में पूर्व में दर्ज प्राथमिक रिर्पोट संख्या 590/12 की जॉंच को अपने हाथों में लिया। प्राथमिक सूचना रिर्पोट में अन्य बातों के साथ साथ ऐसा आरोप था कि व्यापम के कर्मियों द्वारा एक सूचना भेजी गई कि एक सदिग्ध व्यक्ति पुलिस सिपाही परीक्षा, 2012 में लक्ष्मी बाई स्मारक, उत्तर माध्यमिक विद्यालय, लस्कर ग्वालियर में उम्मीदवार के नाम पर दिनांक 30.09.2012 को उपस्थित होने जा रहा था। संदिग्ध व्यक्ति को प्रधानाचार्य के रूम में लाया गया जहॉं से वह शौचालय गया एवं चालाकी से वहॉं से भाग गया। अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) का मामला चलाने के लिए जिस समय संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया उसे केवल ओ.एम.आर. सीट ही दी गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जॉंच के दौरान, उम्मीदवार, मध्यस्थ व्यक्ति एवं सॉल्वर का पता नही लगाया जा सका।

सीबीआई द्वारा की गई जॉंच से पता चला कि उम्मीदवार ने कथित रूप से मध्यस्थ से सहायता ली जिसने आगे लिखित परीक्षा में वास्तमिक उम्मीदवार की ओर से उपस्थित होने के लिए एक सॉल्वर की व्यवस्था हेतु एक अन्य मध्यस्थ की सहायता ली। जिसके लिए उम्मीदवार चयनित होने पर कुल देय राशि 2.5 लाख रू. (लगभग) में से पूर्व भुगतान (एडवॉस) के तौर पर 40,000 रू. (लगभग) का भुगतान देने को तैयार हुआ। मध्यस्थ व्यक्ति ने कथित रूप से 40,000 रू. की राशि ली

एवं सॉल्वर की व्यवस्था करने के लिए अन्य मध्यस्थ व्यक्ति से सम्पर्क किया तथा 20,000 रू. की की राशि पूर्व भुगतान (एडवान्स) के तौर पर उसे दिया। सभी चार आरोपी व्यक्तियों की पहचान की और पता लगाया।उम्मीदवार सॉल्वर एवं दो मध्यस्थों की नमूना लिखावत एकत्र की गई तथा फोरेंसिक परीक्षण के लिए सी.एफ.एस.एल., नई दिल्ली को भेजी गई।

विशेषज्ञ के कथन, रिकार्ड व पहचान प्रमाण के आधार पर, यह सिद्व हुआ कि परीक्षा के पूर्व सॉल्वर, मध्यस्थ व्यक्ति व उम्मीदवार, ग्वालियर के होटल में एकत्र हुए। यह भी सिद्व हुआ कि सॉल्वर कपटपूर्ण तरीके से उक्त दो मध्यस्थों के द्वारा उम्मीदवार ने परनाम धारण किया एवं दिनांक 30.09.2012 को व्यापम द्वारा आयोजित पी.सी.आर.टी. परीक्षा 2012 में पुलिस सिपाही के तौर पर चयन प्राप्त करने हेतु अनुचित साधन का प्रयोग किया।

अदालत ने दिनांक 01.02.2017 तक के लिए मध्यस्थ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया व अन्य तीन आरोपियों को गैर जमानती वारन्ट ज़ारी किया क्योंकि वे अदालत के समक्ष आरोप पत्र ज़ारी करने के दौरान उपस्थित नही हुए थे।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जाँच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****